

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या

क्र०	बिन्दु	उत्तर
1.	अपने संगठन की विशिष्टियों कृत्य और कर्तव्य	लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद संगठन के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, नलकूप वाराणसी, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, इलाहाबाद के अधीन है। खण्ड के अन्तर्गत नहर/माइनरों एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रख-रखाव का कार्य किया जाता है। उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु इस खण्ड के अधीन तीन उपखण्डीय कार्यालय कार्यशील हैं, जिसमें प्रथम उपखण्ड का मुख्यालय इलाहाबाद, द्वितीय उपखण्ड का मुख्यालय प्रतापगढ़ एवं तृतीय उपखण्ड का मुख्यालय मेजा (इलाहाबाद) में स्थित है। खण्ड एवं उपखण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान शासन द्वारा आवंटित बजट से होता है तथा बजट के सापेक्ष वेतन आहरण कोषागार, इलाहाबाद से किया जाता है।
2	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	
	1.अधिकासी अभियन्ता	खण्ड के अन्तर्गत समस्त कार्यों का सम्पादन।
	2. सहायक अभियन्ता-1,2 एवं 3	उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यों का सम्पादन।
	3. अवर अभियन्ता	कार्य स्थल पर कार्यों को मानकों एवं गुणवत्ता के साथ कराना
	4. खण्डीय लेखाधिकारी	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के पैरा 98 में निहित मुख्य लेखाओं का संग्रहकर्ता तथा बाउचर्स इत्यादि की जाँचकर्ता वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यों का सम्पादन
	5. अनुसचिवीय अधिष्ठान	कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख-रखाव।
	6. राजस्व अधिष्ठान	राजस्व सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।
	7. ड्राइंग स्टाफ	ड्राइंग सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।
	8. चतुर्थ श्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम सम्मिलित है	उपखण्ड में कराये गये कार्यों का निरीक्षण तथा कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान करना तथा उपखण्डीय अधिकारियों को कृषकों की समस्याओं का निराकरण हेतु निर्देशित कर निराकरण करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	विभाग में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यों के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता यांत्रिक/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित कराना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्ट एवं लागू निर्णय एवं नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यालय अभिलेखों का रख-रखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उनके नियन्त्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निर्धारित एवं वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं में दिए गए प्राविधान के अन्तर्गत किया जाता है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को सिंचाई बन्धु समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है जिसके अन्तर्गत कृषकों की समस्याओं पर उनसे विचारोपरान्त समाधान किया जाता है।

(2)

1	2	3																																													
8	ऐसे बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं. निका उसके भागरूप में या इस बार सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है। की क्या बोर्डों परिषदों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी	यदि ऐसी बैठक होती है तो वे जनता के लिए खुली होंगी।																																													
9	अपने अधिकारियों /कर्मचारियों की निर्देशिका	कार्यालय दूरभाष सं0-2543144 आवासीय दूरभाष सं0-2544387																																													
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>पद</th> <th>वेतनमान</th> <th>पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अधीशासी अभियन्ता</td> <td>15600-39100</td> <td>पम्प आपरेटर</td> </tr> <tr> <td>सहायक अभियन्ता</td> <td>15600-39100</td> <td>भण्डारपाल</td> </tr> <tr> <td>अवर अभियन्ता</td> <td>9300-34800</td> <td>मेठ</td> </tr> <tr> <td>लेखाधिकारी</td> <td>9300-34800</td> <td>विद्युतकार</td> </tr> <tr> <td>वरिष्ठ सहायक</td> <td>5200-20200</td> <td>रनर/चपरासी</td> </tr> <tr> <td>आशुलिपिक</td> <td>5200-20200</td> <td>बेलदार</td> </tr> <tr> <td>प्रारूपकार</td> <td>5200-20200</td> <td>चौकीदार</td> </tr> <tr> <td>वरिष्ठ लिपिक</td> <td>5200-20200</td> <td>माली</td> </tr> <tr> <td>कनिष्ठ लिपिक</td> <td>5200-20200</td> <td>वर्कन्दाज</td> </tr> <tr> <td>सर्वेयर</td> <td>5200-20200</td> <td>फिटर</td> </tr> <tr> <td>वाहन चालक</td> <td>5200-20200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जिलेदार</td> <td>5200-20200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>सीचपर्यवेक्षक</td> <td>5200-20200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>सीचपाल</td> <td>5200-20200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पद	वेतनमान	पद	अधीशासी अभियन्ता	15600-39100	पम्प आपरेटर	सहायक अभियन्ता	15600-39100	भण्डारपाल	अवर अभियन्ता	9300-34800	मेठ	लेखाधिकारी	9300-34800	विद्युतकार	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	रनर/चपरासी	आशुलिपिक	5200-20200	बेलदार	प्रारूपकार	5200-20200	चौकीदार	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200	माली	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	वर्कन्दाज	सर्वेयर	5200-20200	फिटर	वाहन चालक	5200-20200		जिलेदार	5200-20200		सीचपर्यवेक्षक	5200-20200		सीचपाल	5200-20200	
पद	वेतनमान	पद																																													
अधीशासी अभियन्ता	15600-39100	पम्प आपरेटर																																													
सहायक अभियन्ता	15600-39100	भण्डारपाल																																													
अवर अभियन्ता	9300-34800	मेठ																																													
लेखाधिकारी	9300-34800	विद्युतकार																																													
वरिष्ठ सहायक	5200-20200	रनर/चपरासी																																													
आशुलिपिक	5200-20200	बेलदार																																													
प्रारूपकार	5200-20200	चौकीदार																																													
वरिष्ठ लिपिक	5200-20200	माली																																													
कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	वर्कन्दाज																																													
सर्वेयर	5200-20200	फिटर																																													
वाहन चालक	5200-20200																																														
जिलेदार	5200-20200																																														
सीचपर्यवेक्षक	5200-20200																																														
सीचपाल	5200-20200																																														
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टताओं उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभीकरण को आवंटित बजट	अनुदान सं0-95 के अन्तर्गत वेतन मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाष आदि मदों में वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बजट आवंटित होता है/माइनरों एवं मशीनों आदि के लिए अनुदान सं04702 के अन्तर्गत बजट आवंटित होता है।																																													
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहकों के ब्यौरे सम्मिलित है	इस तरह की कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।																																													
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टता	इस तरह की कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।																																													
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो	कार्यालय में कम्प्यूटर, फैक्स एवं इण्टरनेट उपलब्ध है, परन्तु इण्टरनेट कार्यशील नहीं है।																																													
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टता जिनके अन्तर्गत किसी पुस्ताकलय या	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।																																													

(3)

1	2	3						
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	<p>सूचना अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग हेतु जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नलकूप, वाराणसी सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के अधीनस्थ नामित है जो निम्नवत् है:-</p> <table border="1"><tbody><tr><td data-bbox="751 573 1161 696">1. श्री दिनेश चन्द त्रिपाठी</td><td data-bbox="1161 573 1551 696">अधिशाली अभियन्ता, अपीलीय अधिकारी, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद ।</td></tr><tr><td data-bbox="751 696 1161 846">2. श्री अनिल कुमार गुप्ता</td><td data-bbox="1161 696 1551 846">सहायक अभियन्ता जनसूचना अधिकारी, उपखण्ड-प्रथम, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद</td></tr><tr><td data-bbox="751 846 1161 994">3. श्री राम लखन</td><td data-bbox="1161 846 1551 994">सहायक अभियन्ता सहायक जन सूचना अधिकारी उपखण्ड-तृतीय, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद</td></tr></tbody></table>	1. श्री दिनेश चन्द त्रिपाठी	अधिशाली अभियन्ता, अपीलीय अधिकारी, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद ।	2. श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता जनसूचना अधिकारी, उपखण्ड-प्रथम, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद	3. श्री राम लखन	सहायक अभियन्ता सहायक जन सूचना अधिकारी उपखण्ड-तृतीय, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद
1. श्री दिनेश चन्द त्रिपाठी	अधिशाली अभियन्ता, अपीलीय अधिकारी, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद ।							
2. श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता जनसूचना अधिकारी, उपखण्ड-प्रथम, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद							
3. श्री राम लखन	सहायक अभियन्ता सहायक जन सूचना अधिकारी उपखण्ड-तृतीय, लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद							

अधिशाली अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड
इलाहाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता,
लघु डाल नहर खण्ड-इलाहाबाद

पत्रांक- /लडानखइ/सू0अ0-2005/ दिनांक 2010

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 16 विन्दुओं की सूचना सी0डी0 पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

अधीक्षण अभियंता, कम्प्यूटर केन्द्र सिंचाई भवन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख अभियंता (यां0),सिंचाई विभाग,उ0प्र0,लखनऊ के अ0शा0 पत्रांक-1131/प्र.अ./यां./सज्जा-2/यू-5/आर.टी.आई./ दिनांक 30.08.10, मुख्य अभियंता (न0वा0),सिंचाई विभाग, उ0प्र0,वाराणसी के पत्रांक-8373/न0वा0/दिनांक 06-09-2010 एवं अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, इलाहाबाद के पत्रांक-सी-2302/नमइ/सू0अ0/दिनांक 10.09.2010 के अनुपालन में 16 विन्दुओं की सूचना साफ्ट कापी सी0डी0सहित तैयार कर आपके पास इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे बेवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें। अपलोड के उपरांत अधिशासी अभियंता इन्वेन्टी कन्ट्रोल खण्ड, सिंचाई भवन तेलीबाग, लखनऊ को आपने स्तर से अवगत कराने की कृपा करें।
सं0-साफ्ट कापी व सी0डी0सहित।

अधिशासी अभियंता,
लघु डाल नहर खण्ड,
इलाहाबाद

पत्रांक- /लडानखइ/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अधिशासी अभियंता, इन्वेन्टी कन्ट्रोल खण्ड, सिंचाई भवन तेलीबाग,लखनऊ।
 - 2- अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल-इलाहाबाद को उनके पत्रांक-सी-2302/नमइ/सू0अ0/दिनांक 10.09.2010 के संदर्भ में।
- सं0-साफ्ट कापी व सी0डी0सहित।

अधिशासी अभियंता,
लघु डाल नहर खण्ड,
इलाहाबाद

